राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः नर्सिग/नर्स–2/ई–1038/2020/ दिनांक–

संयोजक,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैक्टर 18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर,
टौंक रोड, जयपुर।

विषयः– सत्र 2020–21 में एम.एस.सी(नर्सिग) प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में राज्य सेवा में नर्सिग संवर्ग में कार्यरत निम्न कार्मिक के एम.एस.सी (नर्सिग) हेतु वर्ष 2020–21 में बैठने की अनुमति देने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी मूल ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है:–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती मोनिका पूनिया नर्स श्रेणी द्वितीय	प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्साल, जयपुर।
2	श्रीमती विमला नर्स श्रेणी द्वितीय	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाडमेर

संलग्नः– मूल आवेदन पत्र

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/नर्स–2/ई–1038/2020/1259 दिनांक– 14/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रण संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर/प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बाडमेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का आवेदन पत्र निम्न शर्तों पर अग्रेषित किया जा रहा है:–
   - उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
   - प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग मे अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
   - कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी ।
   - राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
   - पूर्व में जिन कर्मियों राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुए एम.एस.सी नर्सिग प्रतिनियुक्ति पर की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हें एम.सी.सी प्रशिक्षण स्वंय के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश)यह प्रशिक्षण करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे यह अध्ययन स्वंय के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्ध वैतनिक/असाधारण अवकाश) पर करेंगें अन्यथा अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेंगे ।
   - संविदा/प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मी उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर पात्र नहीं माने जावेंगें।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में बिना सक्षम स्वीकृति के कोर्स में सम्मिलत न हो ।
3. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर